पत्रांक –3/एम०–23/2022सा०प्र० 8234 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पुलिस महानिदेशक

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 26-5- 2022

विषय– दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन के उपरान्त मानदेय निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–5422 दिनांक–19.08.2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7531 दिनांक–09.11.2021 द्वारा दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मियों को उपदान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महँगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी गयी है–

सेवानिवृत्ति की अवधि	परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2020	मूल वेतन का 21%
दिनांक–01.07.2020 से 31.12.2020	मूल वेतन का 24%
दिनांक–01.01.2021 से 30.06.2021	मूल वेतन का 28%

2. दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मियों का सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के तहत किये गये संविदा नियोजन के फलस्वरूप उनके मानदेय का निर्धारण संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा तत्समय स्वीकृत 17 प्रतिशत महँगाई भत्ते के आधार पर किया गया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(6)(i) में मानदेय निर्धारण संबंधी प्रावधान निम्नवत् है–

"(i) संविदा परनियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय निर्धारण की यह प्रक्रिया केवल संविदा के आधार पर नियोजन में ही लागू होगी, अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।"

4. उपर्युक्त कंडिका–3 में उल्लिखित प्रावधान से स्पष्ट है कि मानदेय निर्धारण का आधार अन्तिम वेतन, अन्तिम महँगाई भत्ता एवं पेंशन है। वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7531 दिनांक–09.11.2021 द्वारा वैचारिक रूप से स्वीकृत महँगाई भत्ता की वर्धित दर के फलस्वरूप दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त कर्मियों का अन्तिम महँगाई भत्ता परिवर्तित हो रहा है। इसलिए उक्त संविदा नियोजित कर्मियों का मानदेय पुनर्निधारित किया जाना अपेक्षित है।

5. अतः संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में संविदा नियोजित वैसे कर्मी, जो दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, का मानदेय उनके संविदा नियोजन की तिथि को संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा निम्नवत् पुनर्निर्धारित की जायेगी–

सेवानिवृत्ति की अवधि	वैचारिक रूप से पुनर्निर्धारित मानदेय	पुनर्निर्धारित मानदेय के वास्तविक लाभ की तिथि
दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2020	(अन्तिम वेतन + 21% महँगाई भत्ता) – (पेंशन + 21% महँगाई भत्ता)	दिनांक–01.07.2021
दिनांक–01.07.2020 से 31.12.2020	(अन्तिम वेतन + 24% महँगाई भत्ता) – (पेंशन + 24% महँगाई भत्ता)	दिनांक–01.07.2021
दिनांक–01.01.2021 से 30.06.2021	(अन्तिम वेतन + 28% महँगाई भत्ता) – (पेंशन + 28% महँगाई भत्ता)	दिनांक–01.07.2021

6. उपर्युक्त कंडिका–5 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. अतः अनुरोध है कि संबंधित संविदा नियोजित कर्मियों का मानदेय उपर्युक्त कंडिका–5 के अनुरूप पुनर्निर्धारित किया जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।